जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/73 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 19 अप्रैल 2021

दो महीने पहले की तस्वीर

आखिर क्यों सिविल लाइन ज़ोन के उपायुक्त श्री राम किशोर मेहता अवैध निर्माण के सम्बन्ध में ना तो शिकायत का जवाब दे रहे है और ना ही सुचना??

वर्तमान तस्वीर

नगर निगम हेरिटेज के सिविल लाईन जोन में स्थित आवासीय भूखंडो 13,16 मरुधर नगर/विहार को मिलाकर बन रहे काम्प्लेक्स का मामला!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आवासीय भूखंड संख्या 13,16 मरुधर नगर/विहार खातीपुरा रोड पर बन रहा 7 मंजिला काम्प्लेक्स

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मरुधर नगर/विहार खातीपुरा रोड स्थित भूखंड संख्या 13,16 आगे-पीछे के भूखंड है जिन्हें मिलाकर काम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है|रिकॉर्ड के अनुसार यह दोनों आवासीय भूखंड है संभवतः इन दोनों आवासीय भूखंडो को बिना पुनर्गठन करवाए, बिना सक्षम अनुमति के,बिना नक़्शे पास करवाए बेसमेंट सहित 7 मंजिला व्यावसायिक काम्प्लेक्स खड़ा किया जा रहा है|

इस मामले की सिविल लाइन ज़ोन में शिकायत पर उपायुक्त बता रहे है कि यह निर्माण स्वीकृति के अनुसार बन रही है|

इस मामले को हमारे द्वारा जब सिविल लाइन ज़ोन में शिकायत (संपर्क पर दर्ज परिवाद संख्या-02211599439236/09-Feb-2021) की तो उनके द्वारा बताया गया कि यह निर्माण स्वीकृति अनुसार किया जा रहा है|इस पर जब हमारे द्वारा निर्माण स्वीकृति की प्रति चाही गयी तो उसको आज दिन तक उपलब्ध नही करवाया गया है|

/2021

	Heritage Jaipur, Deputy Commissioner, (Admin I), O/o Deputy Commissioner Civil Line				
6	Municipal Corporation, Heritage Jaipur, Deputy Commissioner, (Admin I), O/o Deputy Commissioner Civil Line	, , ,	Partially Closed :Relief	18-Feb-2021	निर्माण कार्य निर्माण स्वीकृति के अनुरूप किया जा रहा है
7	Citizen Contact Center, Data Entry Operator, (Administration), Citizen Contact Center, Yojana Bhawan	Municipal Corporation, Heritage Jaipur, Deputy Commissioner, (Admin I), O/o Deputy Commissioner Civil Line	Marked Not Satisfied	19-Feb-2021	परिवादी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से असंतुष्ट है प्रार्थी का कहना है की निर्माण स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करवाए जाए
8	Municipal Corporation, Heritage Jaipur, Deputy Commissioner, (Admin I), O/o Deputy Commissioner Civil Line	, , ,	Remarks	22-Feb-2021	स्वीकृति अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है
9	Municipal Corporation, Heritage Jaipur, Deputy Commissioner, (Admin I), O/o Deputy Commissioner Civil Line	, , ,	Partially Closed :Relief	22-Feb-2021	स्वीकृति अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है
10	Citizen Contact Center, Data Entry Operator, (Administration), Citizen Contact Center, Yojana Bhawan	, , ,	Marked Not Satisfied	23-Feb-2021	परिवादी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से असंतुष्ट है। परिवादी का कहना है की निर्माण स्वीकृति की कॉपी उपलब्ध करवाई JAAAYE

सुचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर बेसिर पैर का कारण बता कर आवेदन लौटाया|

ज़ोन के उपायुक्त श्री राम किशोर मेहता इस मामले में यहीं नहीं रुके हमारे द्वारा इस मामले जब सुचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गयी तो उनके द्वारा हमारा सुचना आवेदन यह कह कर लौटा दिया कि हमारे द्वारा सुचना के आवेदन के साथ संदेय 10 रूपये का पोस्टल आर्डर श्रीमान लोक सुचना अधिकारी/उपायुक्त सिविल लाइन ज़ोन के नाम से भरा गया है|उन्होंने अपने कथन को सिद्ध करने के लिए दलील दी कि राजस्थान सुचना का अधिकार नियम 2005 के नियम 3 में उपबंधित प्रावाधानुसार लोक प्राधिकारी अथार्त नगर निगम हेरिटेज,जयपुर के नाम होना चाहिए|

अब आपको ज़ोन के उपायुक्त श्री राम किशोर मेहता के इस कथन की हकीकत बताते है,चूँकि हमें मालुम था कि कई भ्रष्ट लोक सुचना अधिकारी जानकारी छिपाने/नहीं देने के लिए ऐसी ऊट-पटांग जवाब देते है इसके मद्देनजर हम संदेय पोस्टल आर्डर को रिक्त ही भेजते है ताकि लोक सुचना अधिकारी इस बात का बहाना नहीं बना सके|परन्तु शायद ज़ोन के उपायुक्त श्री राम किशोर मेहता ने इस बात पर गौर नहीं किया और यह गलती कर बैठे|

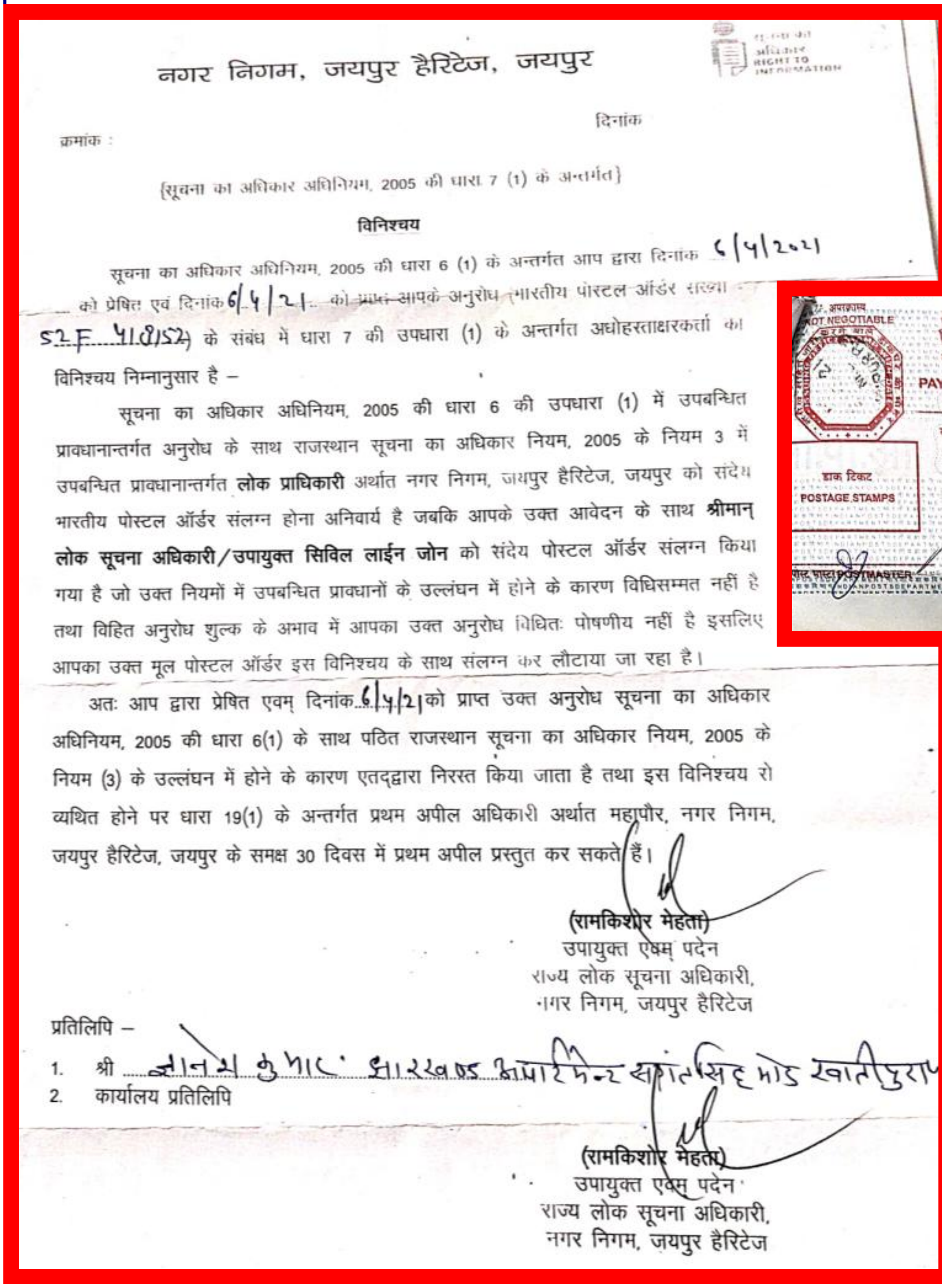

नगर निगम, जयपुर हैरिटेज, जयपुर

क्रमांक :

दिनांक

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (1) के अन्तर्गत)

विनिश्चय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आप द्वारा दिनांक 6/4/2021 को प्रेषित एवं दिनांक 6/4/21 को प्राप्त आपके अनुरोध (भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 52F 418152) के संबंध में धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता का विनिश्चय निम्नानुसार है –

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत अनुरोध के साथ राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 के नियम 3 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत **लोक प्राधिकारी** अर्थात नगर निगम, जयपुर हैरिटेज, जयपुर को संदेय भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न होना अनिवार्य है जबकि आपके उक्त आवेदन के साथ **श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी/उपायुक्त सिविल लाईन जोन** को संदेय पोस्टल ऑर्डर संलग्न किया गया है जो उक्त नियमों में उपबन्धित प्रावधानों के उल्लंघन में होने के कारण विधिसम्मत नहीं है तथा विहित अनुरोध शुल्क के अभाव में आपका उक्त अनुरोध विधितः पोषणीय नहीं है इसलिए आपका उक्त मूल पोस्टल ऑर्डर इस विनिश्चय के साथ संलग्न कर लौटाया जा रहा है।

अतः आप द्वारा प्रेषित एवम् दिनांक 6/4/21 को प्राप्त उक्त अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के साथ पठित राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 के नियम (3) के उल्लंघन में होने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा इस विनिश्चय से व्यथित होने पर धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी अर्थात महापौर, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज, जयपुर के समक्ष 30 दिवस में प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(रामकिशोर मेहता)
उपायुक्त एवम् पदेन
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि –

1. श्री ज्ञानेश कुमार [illegible]
2. कार्यालय प्रतिलिपि

(रामकिशोर मेहता)
उपायुक्त एवम् पदेन
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

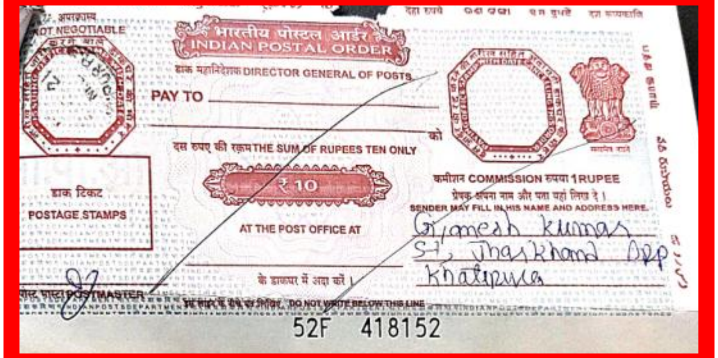

आरटीआई का सरकारी मतलब अब 'राइट टू इग्नोर'

कभी निजता, कभी तकनीकी आधार पर अर्जी खारिज

अनिरुद्ध शर्मा | नई दिल्ली

केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में आरटीआई कानून के तहत आने वाले आवेदन लगातार कम हो रहे हैं। वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक 1.92 लाख आवेदन वित्त मंत्रालय में आए लेकिन पिछले साल के 2.11 लाख से 9% कम हैं। गृह मंत्रालय में 22 और रक्षा मंत्रालय में 16 फीसदी आवेदन कम आए। इस दौरान केंद्र के 2,193 विभागों-एजेंसियों को 13.74 लाख आवेदन मिले जिनमें 4.27 फीसदी खारिज हुईं। ज्यादातर आर्जियों को खारिज करने के पीछे 'निजता' (20%) और "तकनीकी' (40%) कारण बताए गए। लंबित आवदेनों की संख्या भी बढ़ी है। सबसे ज्यादा 1.15 लाख आवेदन रक्षा मंत्रालय में पेंडिंग हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) में 50 हजार से ज्यादा पेंडिंग हैं। इस दौरान रेलवे ने 25 हजार, वित्त मंत्रालय ने 24 हजार और रक्षा मंत्रालय ने 20 हजार से ज्यादा आवेदन दूसरे मंत्रालयों में भेजे। ट्रांसफर अर्जियों में [illegible]

जवाब मांगते सवाल?

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार आवासीय कोलोनियों में भूखंडों को जोड़कर काम्प्लेक्स बनाने पर रोक है उसके बावजूद किस भ्रष्ट अधिकारी ने इन दोनों भूखंडों का एकीकरण किया?
- आखिर क्या है इन भूखंडो को दी गयी निर्माण स्वीकृति का सच(जैसा कि राम किशोर मेहता अपने जवाब में बता रहे है) ?
- यदि इन्हें येन-केन प्रकारेण निर्माण स्वीकृति भी प्रदान की गयी है तो आखिर कितने माले तक निर्माण करने की अनुमति दी गयी है?
- आखिर किस भ्रष्ट अधिकारी ने आवासीय कोलोनी के भूखंडों को जोड़कर व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी है?
- आखिर क्यों राम किशोर मेहता सुचना देने में आनाकानी कर रहे है?
- क्या यह बहुमंजिला काम्प्लेक्स रेरा द्वारा स्वीकृत है?
- किस बाहुबली/रसूखदार का है यह काम्प्लेक्स?
- पूर्व में राम किशोर मेहता को क्यों APO कर,जैसलमेर भेजा जा रहा था?
- आखिर क्यों सिविल लाइन ज़ोन का कारिन्दा हमें फोन कर इस मामले में सुचना तैयार होने और कार्यालय में आकर सुचना ले जाने का दबाव बना रहा था?